28.11.19 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलार्थी उपस्थित
रेस्पो० उप० नहीं है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा
दिनांक 28.8.19 को प्रस्तुत प्रा० पत्र 0.1 R 27 CPC की
सूची में अभिभाषक की धन्यवाद नोटिस रेस्पो० क्र-1
को दी जा चुकी है। रेस्पो० क्र-1 के अधिवक्ता वास्ते
सूचना के आज उप० नहीं है। अन्य रेस्पो० भी अनु० है।
अपीलाधीन आदेश/निर्णय के संबंध में गोविन्द लाल पुत्र
प्रेमकुमार की अपील क्र. 158/18 न्यायालय हाजा में लंबित
है, जिसमें आज ही 0 पेशी नियत है। उक्त अपील
में रेस्पो० क्र-1 की ओर से भी धन्यवाद नोटिस प्राप्त है।
इस प्रकरण में भी धन्यवाद नोटिस प्राप्त। द्वारा अभिभाषक
पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा
प्रस्तुत प्रा० पत्र 0.1 R 27 CPC का अवलोकन किया तथा
बहस सुनी गई। प्रा० पत्र के संलग्न दस्तावेजात
के अवलोकन से प्रकट होता है। नकल सं. 293 दि. 11.1.2008
को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र-4
कोटा द्वारा दीवानी वाद 90/11 में पारित निर्णय
दि. 12.5.19 से पारित निर्णय/डिक्री अनुसार
निरस्त कर दिया है। सिविल न्यायालय के
उक्त आदेश/निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत
अपील निष्फल हो जाने के अब इस न्यायालय के
कोई आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः
अपील अपीलार्थी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।
पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]